वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय सेवाएं विभाग में जनवरी 2024 के दौरान प्रगति गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

i. वित्तीय सेवाएं विभाग और इसके संगठनों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) में भाग लिया और बिहार, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में कार्यक्रमों के संचालन की अतिरिक्त जिम्मेदारी ली। यात्रा के दौरान डीएफएस की योजनाओं के लिए 1 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

ii. स्टैंड-अप इंडिया योजना के लाभार्थियों की उद्यमशीलता की भावना को सम्मान देते हुए, उनको कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

iii. माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने दिनांक 6.1.2024 को गंगटोक, सिक्किम में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी) और अन्य योजनाओं के तहत 2641 लाभार्थियों को 228 करोड़ रुपये के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।

iv. माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के साथ दिनांक 20.1.2024 को ओडिशा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, संबलपुर में 2289 करोड़ रुपये के 70,689 ऋण स्वीकृत किए गए और ढेंकानाल, ओडिशा में खुदरा, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा 2537 करोड़ रुपये के 1,95,407 ऋण स्वीकृत किए गए।

v. इस विभाग ने भारतीय बैंक संघ के सहयोग से "भारत में जलवायु वित्त को अनलॉक करना - ग्रीन, रेजिलिएंट और सम्पोषणीय विकास में निवेश का लाभ उठाना" विषय पर पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन संबंधी (ईएसजी) एक पूर्ण दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें 11 जनवरी 2024 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, भुगतान और लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की भागीदारी हुई।

vi. पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए इस योजना की चौथी राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक 17 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। सचिव (डीएफएस) ने बैठक की सह-अध्यक्षता की थी।

vii. सचिव (डीएफएस) की अध्यक्षता में 15 जनवरी 2024 को स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के प्रबंध निदेशक(एमडी)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ)के साथ हुई बैठक में स्वास्थ्य बीमा उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों में स्वास्थ्य दावा सेवाओं में सुधार और लोगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा कवरेज शामिल है।

viii. डीएफएस द्वारा 15 जनवरी 2024 को तीन टीआरईडीएस एक्सचेंजों, एमएसएमई मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक बैठक आयोजित की गई, ताकि इस प्लेटफार्म को अधिक सुदृढ़ और परिपक्व बनाया जा सके। बैठक में टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर सीपीएसई को शामिल करने, टीआरईडीएस एक्सचेंजों की अंतर- संचालनीयता और जीएसटीएन- टीआरईडीएस एकीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

ix. सचिव (डीएफएस) ने बीमा आदि के माध्यम से एक व्यापक बहु-संकट जोखिम वित्तपोषण रणनीति और आपदा जोखिम वित्तपोषण का पता लगाने के लिए 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), अभिचिह्नित मंत्रालयों और राज्यों के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की।

x. सचिव (डीएफएस) ने निम्नलिखित संगठनों के साथ समीक्षा बैठकें कीं :

- 03 जनवरी 2024 को नेशनल इंश्योरेंस अकादमी (एनआईए), पुणे के साथ।
- भारत सरकार की 10 पीएलआई योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं में आईएफसीआई की पर्यावरणीय, सामाजिक, अभिशासन (ईएसजी) सलाहकार सेवाओं के संबंध में आईएफसीआई के साथ।
- एलआईसी की सहायक कंपनियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए 25 जनवरी 2024 को एलआईसी के साथ।

xi. अन्य नियमित उपायों और महत्वपूर्ण प्रगति का ब्यौरा इसके साथ संलग्न है।

संलग्न: यथोक्त

वित्तीय सेवाएं विभाग के अन्य नियमित कार्यकलाप

1. प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रगति :

योजनाएं	दिनांक 24.01.2024 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (योजना को आरंभ किए जाने से लेकर)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में वृद्धि (दिनांक 24.01.2024 की स्थिति के अनुसार)	जनवरी, 2024 में वृद्धि (दिनांक 24.01.2024 तक)
प्रधानमंत्री जन धन योजना (**पीएमजेडीवाई**)			
• पीएमजेडीवाई खातों की संख्या	51.61 करोड़	2.95 करोड़	28 लाख (16 लाख ग्रामीण +12 लाख शहरी)
• जमाराशि	2,17,218 करोड़ रूपये	18,374.13 करोड़ रूपये	5928.17 करोड़ रूपये
• रूपे कार्ड की संख्या	35.11 करोड़	2.17 करोड़	25.42 लाख
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (**पीएमएसबीवाई**)			
• नामांकन	42.60 करोड़	8.82 करोड़	64 लाख
• संवितरित दावों की संख्या	1,28,751	13,457	1,233
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (**पीएमजेजेबीवाई**)			
• नामांकन	19.24 करोड़	3.26 करोड़	31 लाख
• संवितरित दावों की संख्या	7,35,456	75,073	8,460
अटल पेंशन योजना (**एपीवाई**) (31.01.2024)	6.21 करोड़	1.00 करोड़	10.90 लाख

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

पीएमएमवाई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 26.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान (दिनांक 26.01.2024 तक)		जनवरी, 2024 के दौरान (दिनांक 26.01.2024 तक)	
	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)
शिशु	37.46	10.50	3.21	1.13	0.50	0.18
किशोर	7.77	10.43	1.68	1.86	0.49	0.47
तरूण	0.92	6.45	0.10	0.92	0.01	0.09
कुल	**46.15**	**27.38**	**4.99**	**3.91**	**1.00**	**0.74**
एससी/एसटी/ओबीसी (कुल सं. में शामिल)	23.37	9.62	2.45	1.45	0.32	0.20
महिलाएं (कुल में से)	31.29	12.16	3.04	1.57	0.30	0.16

स्टैण्ड अप इंडिया (एसयूआई)

एसयूआई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 29.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान (दिनांक 29.01.2024 तक)		जनवरी, 2024 के दौरान (दिनांक 29.01.2024 तक)	
	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
अजा.	34,968	7,417.91	6,208	1,350.22	431	96.67
अजजा.	11,835	2,549.93	2,338	493.00	192	40.97
महिलाएं	1,69,987	38,920.82	21,198	4,784.77	1,547	411.48
कुल	**2,16,790**	**48,888.66**	**29,744**	**6,627.99**	**2,170**	**549.12**

2. **किसान क्रेडिट कार्ड विशेष परिपूर्णता अभियान:** किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत पीएम-किसान लाभार्थियों, डेयरी किसानों और मछुआरों सहित किसानों को केसीसी के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों और अन्य हितधारकों द्वारा किसानों को किफायती ऋण प्रदान करने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, 26 जनवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार, 5,79,268 करोड़ रुपए की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ केसीसी योजना के अंतर्गत 470.75 लाख किसानों (पशुपालन और डेयरी किसानों तथा मछुआरों सहित) को कवर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। विगत वर्षों में केसीसी लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। 1 मई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए अभियान फिर से शुरू किया गया है। 19 जनवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार, 2,40,841 शिविर लगाए गए हैं और इस विशेष साप्ताहिक अभियान के अंतर्गत कुल 23,25,036 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।

3. **कृषि के लिए ऋण प्रवाह:** वर्ष 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य 20.00 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। कुल लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 *दिसम्बर, 2023* तक उपलब्धि 18.00 लाख करोड़ रुपये है, जो लक्ष्य का 90% है।

4. **अकाउंट एग्रीगेटर:** दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार, 56 वित्तीय संस्थाओं (एफआई) ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में, 289 एफआई ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में तथा 91 एफआई ने एफआईपी तथा एफआईयू दोनों के रूप में कार्य करना आरंभ किया है। 1.94 बिलियन पात्र बैंक खातों (जिसमें 1.52 बिलियन बैंक खाते शामिल हैं) में से 45.2 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने अपने खाते को एए ढांचे से संबद्ध किया है तथा ग्राहकों की सहमति से एए ढांचे के माध्यम से 48.3 मिलियन आंकड़े सफलतापूर्वक साझा किए गए हैं।

5. **पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि):** दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार 11,121.21 करोड़ रुपये की राशि के कुल 83.66 लाख ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से 79.16 लाख ऋण आवेदनों के संबंध में 10,486.82 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

6. **खातों को आधार से जोड़ना:** दिनांक 26.01.2024 की स्थिति के अनुसार, 167.94 करोड़ कासा खातों में से, 145.35 करोड़ खातों (86.6%) को आधार से जोड़ दिया गया है।

7. **पीएमजेडीवाई खाताधारकों का बीमा कवरेज:** पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 6.13 करोड़ और 14.67 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है, इनमें से जनवरी, 2024 (दिनांक 24.01.2024 तक) के दौरान पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 4.39 लाख और 12.12 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है।

****